न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 51/2025 G.C.M.S. No. 2025/204 दर्ज दिनांक : 02.06.2025

अपीलार्थी:

1. घेवरिया पुत्र गणेशा, जाति मेघवंशी, निवासी घाणा, तहसील भाद्राजून, जिला जालोर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. गंगादेवी पुत्री गिरधारी पत्नि राणाराम
2. रामाराम पुत्र गिरधारी
3. गोमाराम पुत्र हंसाराम
4. दरगाराम पुत्र हंसाराम, तमाम जातियान चौधरी, निवासीगण घाणा, तहसील भाद्राजून, जिला जालोर।
5. उकडीदेवी पुत्री दलाराम
6. जडावदेवी पत्नि दलाराम
7. नोजकी पत्नि रामा
8. पेपीदेवी पुत्री दलाराम
9. पवनीदेवी पुत्री दलाराम
10. मादाराम पुत्र केना
11. मोटीया पुत्र गणेशा
12. सुजकीदेवी पुत्री दलाराम, तमाम जातियान मेघवंशी, निवासीगण घाणा, तहसील भाद्राजून, जिला जालोर।
13. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, भाद्राजून, जिला जालोर। (रेस्पोंडेंट संख्या 4 से 13 तक तक)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी आहोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 53/2023 बअनवान गंगादेवी बनाम उकडीदेवी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 19.07.2024 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार:—

1. श्री पारसमल बराड़ा, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री जितेन्द्र कुमार चौधरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 29.05.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी आहोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 53/2023 बअनवान गंगादेवी बनाम उकडीदेवी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 19.07.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है—

यह कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी रेस्पो.सं.1 से 3 ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी ग्राम

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

घाणा तहसील भाद्राजन के वर्तमान खसरा नंबर–1429 रकबा 1.17 हैक्टेयर एवं खसरा नचर 1432 रकबा 1.28 हैक्टेयर की असाजी में आवागमन हेतु रास्ता नहीं हैं तथा अप्रार्थीगण की आसाजी के खसरा नंबर–1408 रकबा 1.90 हैक्टेयर की आसाजी में से आवागमन करते हैं, लेकिन राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज नहीं हैं। जिस पर निकटतम एवं सुलभ रास्ता उपलब्ध कराने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं करते हुए प्रार्थीगण के खातेदारी में आवागमन हेतु निकटतम एवं सुविधाजनक मौके पर अन्य रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद भी प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर रास्ता दिये जाने का निर्णय दिनांक 19–07–2024 को निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 की खातेदारी आसाजी में आवागमन हेतु रास्ता चाहा गया है। उक्त आसाजी में आवागमन हेतु खसरा नंबर 1433, 1434, 1438 की उत्तरी माठ पर आवागमन हेतु मौके पर सबसे निकटतम व कम दूरी का रास्ता मौके पर चालू है। इसके अलावा प्रार्थीगण रेस्पोंडेंट सं. 1 से 3 की शामलाती संयुक्त आसाजी के दक्षिण दिशा पर भी मौके पर रास्ता चालू है। इसके अलावा खसरा नंबर 1421, 1422 का बंटवाडा होने से उक्त खसरा में से भी आवागमन हेतु रास्ता मौके पर मौजूद है। इस प्रकार रेस्पोंडेन्ट्स के खातेदारी खेत में आवागमन हेतु सबसे निकट एवं कम दूरी का राजस्व रेकर्डेड रास्ता मौके पर मौजूद होने एवं उसी रास्ते का उपयोग व उपभोग करने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय को गुमराह कर गलत तथ्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नवीनतम प्रस्तावित रास्ते बाबत तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की, जिस पर तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट व अन्य खातेदारी को न तो नोटिस भेजे, न ही सूचना भेजी, केवल मात्र ऑफिस में बैठकर 251 ए आर. टी. एक्ट के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्धारित प्रारूप में मौका फर्द तैयार नहीं कर एकपक्षीय ऑफिशियल मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर किसी भी अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर या अंगूठा नहीं हैं एवं न ही मौका रिपोर्ट में निकटतम या वैकल्पिक रास्ते होने के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई जांच वगैरह नहीं की गई एवं न ही निर्धारित प्रारूप में मौका फर्द रिपोर्ट पेश की गई। इस प्रकार मनगढन्त एवं तथाकथित मौका रिपोर्ट को सही मानकर निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायलय के निर्णय दिनांक 19–07–2024 की मुझ प्रार्थी अपीलान्ट को जानकारी नहीं थीं। पटवारी हल्का, घाणा द्वारा दिनांक 20–05–2025 को निर्णय की पालना में चैक देने घर पर आये और कहा कि आपके खातेदारी खेत में से रास्ते का निर्णय हो गया है, तब मैंने डी. डी/चैक नहीं लिया एवं सीधे ही दूसरे दिन उपखण्ड अधिकारी न्यायालय, आहोर में जाकर सम्पर्क किया, तब वहीं पर अधिवक्ता के जरिये नकले मांगी, जो दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

22–05–2025 को मिली, नकल मिलने पर पढ़ने एवं देखने पर मुझ प्रार्थी अपीलान्ट को निर्णय की पूरी जानकारी हुई। इस प्रकार जानकारी की तारीख से अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की जा रही हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 3 द्वारा अपीलांट्स व दीगर रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध अपनी जोत तक पहुंच के लिए धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 19.07.2024 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 27.03.2025 को विलंब के साथ प्रस्तुत की गई।

2. अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायलय के निर्णय दिनांक 19–07–2024 की मुझ प्रार्थी अपीलान्ट को जानकारी नहीं थीं। पटवारी हल्का, घाणा द्वारा दिनांक 20–05–2025 को निर्णय की पालना में चैक देने घर पर आये और कहा कि आपके खातेदारी खेत में से रास्ते का निर्णय हो गया है, तब मैंने डी.डी/चैक नहीं लिया एवं सीधे ही दूसरे दिन उपखण्ड अधिकारी न्यायालय, आहोर में जाकर सम्पर्क किया, तब वहीं पर अधिवक्ता के जरिये नकले मांगी, जो दिनांक 22–05–2025 को मिली, नकल मिलने पर पढ़ने एवं देखने पर मुझ प्रार्थी अपीलान्ट को निर्णय की पूरी जानकारी हुई। इस प्रकार जानकारी की तारीख से अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की जा रही हैं। अतः अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

3. हमारे विनम्र मत में प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं, अपीलाधीन आदेश अपीलांट की गैर मौजूदगी में एकपक्षीय पारित किया गया है तथा विलंब अपीलांट की लापरवाही या उदासीनता से कारित नहीं किया गया है। साथ ही प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। अतः विलंब सद्भाविक व युक्तियुक्त होने के कारण माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पत्रावली पर अप्रार्थीगण को प्रेषित सम्मन की तामिली रिपोर्ट अंकन के अवलोकन से स्पष्ट है कि सभी सम्मन के संबंध में मकान पर चस्पानगी का अंकन है। उक्त चस्पानगी किस दिनांक को, किस समय की गई, का कोई अंकन नहीं हैं तथा चस्पानगीकर्ता एवं दो अन्य स्वतंत्र मौतबिरान के संबंध में कोई अंकन नहीं हैं एवं न की कोई नाम, पता आदि अंकित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त तामील व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 में विहित प्रावधानों के अंतर्गत समुचित तामील की श्रेणी में नहीं आती हैं तथा प्रकरण में संबंधित तामील कुनिन्दा द्वारा लापरवाहीपूर्वक मनमर्जी से गलत तामील की गई हैं। विद्वान विचारण न्यायालय एवं संबंधित रीडर द्वारा भी इस पर कोई गौर किए बिना इसे गलत रूप से समुचित तामील मानते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद तामील अनुपस्थित होने का अंकन करते हुए दिनांक 25.06.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही आदेश कर दिया गया। जबकि अप्रार्थीगण को कभी समुचित तामील हुई ही नहीं थीं। अतः अप्रार्थीगण को न तो अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार प्रकरण की कोई जानकारी थीं एवं न ही नियत दिनांक के संबंध में कोई सूचना थीं। जिसके फलस्वरूप अप्रार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने का व प्रतिरक्षा का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा एकपक्षीय रूप से अपीलांट सहित अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया, जो पूर्णतया विधिविरूद्ध है।

5. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में भू.अ.नि. भोरड़ा द्वारा दिनांक 20.05.2024 को तैयार एवं न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि संबंधित भू.अ.नि. द्वारा दिनांक 14.05.2024 को पक्षकारान को उपस्थित होने बाबत तहसील से नोटिस जारी किए जाने का अंकन किया गया। लेकिन उक्त मौका रिपोर्ट के साथ ऐसे नोटिस एवं पक्षकारान को सूचित किए जाने संबंधित दस्तावेजात नहीं हैं तथा न ही भू. अ.नि द्वारा अप्रार्थीगण को सूचित करने एवं अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने या हस्ताक्षर आदि करने से इंकार के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गई हैं। जिससे स्पष्ट है कि भू.अ.नि द्वारा केवल प्रार्थीगण को ही सूचित किया गया एवं प्रार्थीगण की उपस्थिति में ही मौका रिपोर्ट तैयार की गई। जबकि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 05.10.2020 द्वारा प्रदत्त आज्ञापक दिशा–निर्देश अनुसार संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा संबंधित सभी खातेदारान को मौके पर उपस्थिति बाबत विधिवत सूचित किया जाना आज्ञापक था।

6. भू.अ.नि. द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि भू.अ. नि. द्वारा प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शा शेड्यूल अ में दर्शाए अनुसार हूबहू जांच प्रतिवेदन तैयार किया गया तथा इसी अनुरूप एकमात्र विकल्प

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रस्तावित किया गया। जबकि जांच अधिकारी के लिए यह आज्ञापक है कि वह प्रकरण में एकमात्र विकल्प दर्शाकर स्वयं निर्णायक नहीं होकर प्रार्थीगण की जोत तक पहुंच के लिए सभी संभव विकल्प व उनकी दूरी अंकित करते हुए विस्तृत जांच प्रतिवेदन मय नक्शा अधीनस्थ न्यायालय में प्रेषित करें। ताकि न्यायालय निकटतम दूरी के स्वीकार्य विकल्प को निर्णित कर सकें। इसका हस्तगत प्रकरण में सर्वथा अभाव पाया गया।

7. उपर्युक्त विवेचन के आलोक में चूंकि प्रकरण में न तो अप्रार्थीगण से विधिवत तामील करवाई गई एवं न ही भू.अ.नि. द्वारा नियम 69 व माननीय मण्डल के दिशा–निर्देश दिनांक 05.10.2020 की अनुपालना की गई एवं न ही निकटतम दूरी के विकल्पों की जांच की गई तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भी इस पर गौर किए बिना भू.अ.नि. द्वारा प्रेषित विधिविरूद्ध जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। जो विधिविरूद्ध व त्रुटिपूर्ण होने से काबिल अपास्त है।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने तथा अपीलाधीन आदेश की पुष्टि नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को अपास्त कर प्रकरण को विधिनुरूप निर्णित करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी आहोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 53/2023 बअनवान गंगादेवी बनाम उकडीदेवी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 19.07.2024 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अप्रार्थीगण रेस्पोंडेंट संख्या 4 से 12 की विधिवत तामील करवाते हुए अप्रार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 एवं 70 में विहित प्रावधानों तथा इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पत्र दिनांक 05.10.2020 द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना करवाते हुए प्रकरण में भू.अ.नि. से अनिम्न राजस्व अधिकारी से सभी प्रभावित खातेदारान को सूचित करवाते हुए तथा प्रार्थी की आराजी तक पहुंच के लिए सभी संभव विकल्प मय दूरी प्रस्तावित करवाते हुए पुनः विहित प्रारूप में विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे असालतन/वकालतन न्यायालय उपखंड अधिकारी आहोर में दिनांक 29.06.2026 को पेश हों। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **29.05.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 [illegible] बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली